रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 2—जुलाई 8, 2017, शनिवार/आषाढ 11—आषाढ 17, 1939
No. 26] NEW DELHI, JULY 2—JULY 8, 2017, SATURDAY/ASADHA 11—ASADHA 17, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

सा.का.नि. 229.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप–धारा (2) के खंड (क) और (ग) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल योधक चिकित्सा काडर (अ-व्यवसायिक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योधक चिकित्सा काडर (अ-व्यवसायिक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल योधक चिकित्सा काडर (अ-व्यावसायिक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

(i) For the heading to column (4), the following heading shall be substituted, namely:—
"Level in the pay matrix".,

(ii) For the entries under column (4), the following entry shall be substituted namely:—
"Level 4".

[F. No. 49/4/2016-S&D/PF4-EW-II]

MADHAVI MOHAN, Under Secy. (EW-I)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (i) vide notification number G.S.R. 170 dated the 11th July, 2012.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 235.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 जहां तक आशुलिपिक (ज्येष्ठ) के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. सी. जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में आशुलिपिक श्रेणी I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, आशुलिपिक श्रेणी I (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : —भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-I	1 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर – 6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा सभी विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति /प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक श्रेणी–II के पद में ऐसे अधिकारी पद धारण कर रहे है (i) मूल संवर्ग या विभाग नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हो (ii) स्तर –4 (25500-81000 रु.) या समतुल्य में दस वर्ष सेवा की हो। स्तर –4 (25500-81000 रु.) में विभागीय आशुलिपिक श्रेणी- 2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो, बाध्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा यदि पद की नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी से चयन किया जाता है, इस प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए समझा माना जाएगा **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है।

[फा. सं.ए–12018/17/2014–ई पी आई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 235.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the B. C. G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Stenographer (Senior), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-I in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: —

1. **Short title and commencement .**—(1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Stenographer Grade-I (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in the Pay Matrix.**—The number of post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—he method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix
1	2	3	4
Stenographer (grade-I)	1* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)

Whether Selection post/ Non Selection Post	Age-Limits for Direct Recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Not applicable	Two years for promotees	By composite method (deputation/ promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, levels from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Deputation:- Officers holding the post of Stenographer under the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department,. or (ii) with ten years regular service in the level-4 (Rs. 25500-81100/-) or equivalent. The departmental Stenographer Grade II in level-4 (Rs. 25500-81100/-) with ten years regular service in the grade is to be considered along with the outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. **Note 2:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/17/2014-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 236. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी बैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास 1976 अधिक्रांत करते समय जहां तक चपरासी और झाड़ुकश के पद से संबंधित है, अधिक्रमण किया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. सी. जी. बैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. बैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, बहु कार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।